प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति एवं

माननीय श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायमूर्ति

विविध अपील (क्षतिपूर्ति) क्रमांक 584 वर्ष 2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण: 1. कलिंदरी बाई देवांगन, पति स्वर्गीय रामकिशुन देवांगन उम्र लगभग 45 वर्ष, गृहिणी

रामकिशुन देवांगन, पिता आलेन देवांगन, उम्र लगभग 50 वर्ष (मृत्यु दिनांक 07/07/06) विधिक प्रतिनिधिगण पहले ही अभिलेख में है।

2. कु.शारदा देवांगन, पिता स्वर्गीय रामकिशुन देवांगन, उम्र लगभग 20 वर्ष.

सभी निवासी ग्राम फिंगेश्वर, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण/ अनावेदक:

1. खिलेश्वर पटेल, पिता मिलाप राम पटेल, वाहन चालक, निवासी- वार्ड क्रमांक-4, आरंग, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.)

2. यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा मंडल प्रबंधक, मंडल अधिकारी कचहरी चौक, जेल रोड, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>अपील का ज्ञापन मोटर यान अधिनियम की धारा 173 के तहत</u>

उपस्थित: श्री ए.एल. सिंगरौल, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री महावीर भटनागर, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

(14 नवंबर, 2011)

राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधिपति, द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

यह अपील दावाकर्तागण के द्वारा प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावाधिकरण, रायपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') के दावा प्रकरण क्रमांक 90/2002 में दिनांक 03.03.2003 को पारित अधिनिर्णय में प्रदान की गई राशि में वृद्धि के लिए की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2) अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण, मृतक रविन्द्र देवांगन उर्फ राजू की दिनांक 05.06.2002 को मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने के आधार पर उनके दुर्भाग्यशाली माता-पिता और बहन द्वारा, मोटर यान अधिनियम की धारा 166 के तहत 16,00,000/- रुपये के प्रतिकर की राशि के दावा के विरुद्ध, अधिकरण ने कुल 92,000/- रुपये प्रतिकार की राशि तथा उक्त राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 6% प्रति वर्ष ब्याज अदा करने का आदेश पारित किया गया था, के खिलाफ यह अपील है।

3) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों की गहन जांच के बाद यह माना कि मृतक रविन्द्र देवांगन उर्फ राजू की मृत्यु दिनांक 05.06.2002 को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई थी; दुर्घटना, ट्रक जिसका पंजीकरण क्रमांक एमआईटी-8899 है, के चालक द्वारा उतावलेपन एवं लापरवाही से वाहन चलाने के

कारण हुई थी; चूंकि दुर्घटना की तिथि पर उपरोक्त दुर्घटना कारित करने वाला वाहन ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कराया गया था और बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों का कोई उल्लंघन सिद्ध नहीं कर सकी, इसलिए बीमा कंपनी दावाकर्तागणो को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी थी।

4) चूंकि प्रत्यर्थीगण ने निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की है, इसलिए अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष अब अंतिम हो गए हैं।

5) अधिकरण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 163-ए के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की थी। मृतक के व्यक्तिगत व्यय के लिए 15,000/- रुपये में से एक-तिहाई घटाकर, दावाकर्तागणो की आश्रितता 10,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई। 10,000/- रुपये की वार्षिक आश्रितता को 9 के गुणक से गुणा करने पर, प्रतिकर की राशि 90,000/- रुपये निर्धारित की गई। अंतिम संस्कार व्यय के लिए 2,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करके, अधिकरण ने मोटर दुर्घटना में मृतक रवींद्र देवांगन उर्फ राजू की मृत्यु के लिए दावाकर्तागणो को प्रतिकर के रूप में कुल 92,000/- रुपये प्रदान किए। अधिकरण ने दावा याचिका दायर करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 92,000 रुपये की उपरोक्त प्रतिकर की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6) अपीलार्थीओं के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.एल. सिंगरौल ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने मृतक की आय के बारे में दावाकर्तागणो के साक्ष्य को स्वीकार न करके तथा उसकी आय केवल 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करके; 9 का निम्न गुणक चुनकर; अन्य शीर्षों के अंतर्गत केवल 2,000/- रुपये देने में; तथा केवल 92,000/- रुपये का कम मुआवजा देने में गलती की है।

7) दूसरी ओर, श्री महावीर भटनागर, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दुर्घटना कारित करने वाला वाहन के बीमाकर्ता ट्रक ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि चूंकि दावाकर्ता मृतक की कोई निश्चित और नियमित आय स्थापित नहीं कर सके, इसलिए अधिकरण द्वारा दिया गया 92,000 रुपये का प्रतिकर का अधिनिर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायसंगत और उचित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8) सत्य है, दावाकर्तागणो ने तर्क दिया कि मृतक रवींद्र देवांगन उर्फ राजू कपड़े बेचकर 4,000 रुपये प्रति माह कमाते थे, पर मृतक के उपरोक्त व्यवसाय और उसकी 4,000 रुपये प्रति माह की आय को स्थापित करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। साक्ष्य की इस स्थिति में, हमें मृतक की आय के बारे में दावाकर्तागणो के साक्ष्य को खारिज करने के अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं दिखता है।

9) परंतु, अधिकरण द्वारा वर्ष 2002 में मृतक की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गई है जो निश्चित रूप से कम है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

10) अधिनियम की धारा 163-ए जिसके अंतर्गत वर्ष 1994 में प्रस्तुत द्वितीय अनुसूची, इस प्रकार है:

> **"[163ए. संरचित सूत्र के आधार पर प्रतिकर के भुगतान के बारे में विशेष प्रावधान.**-(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी, मोटर वाहन का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता, मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी निःशक्तता की स्थिति में, विधिक उत्तराधिकारियों या पीड़ित को, जैसा भी मामला हो, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
>
> **स्पष्टीकरण:**
>
> इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "स्थायी निःशक्तता" का वही अर्थ और विस्तार होगा जो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के किसी दावे में, दावेदार को यह अभिवचन देने या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी कि वह मृत्यु या स्थायी निःशक्तता, जिसके संबंध में दावा किया गया है, संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी गलत कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई थी।

(3) केन्द्रीय सरकार जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन कर सकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) अधिनियम की धारा 163-ए की उपर्युक्त उपधारा (3) के तहत केन्द्र सरकार को जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

12) चूंकि केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 163-ए की उपधारा (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने में विफल रही है, इसलिए न्यायालय/अधिकरण के द्वारा वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची के लागू होने और दिए गए मामले में दुर्घटना की तारीख के बीच की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतों और जीवन-यापन की लागत में वृद्धि का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता हैं।

13) अब वर्तमान मामले पर लौटते हुए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना जिसमें मृतक रवींद्र देवांगन उर्फ राजू की मृत्यु हो गई, वर्ष 2002 में हुई थी। यदि वर्ष 1994 और वर्ष 2002 के बीच आवश्यक वस्तुओं के कीमतों में वृद्धि और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा जाए, तो वर्ष 1994 में द्वितीय अनुसूची में निर्धारित 15,000/- रुपए की काल्पनिक आय निश्चित रूप से वर्ष 2002 में 30,000/- रुपए हो जाएगी। इसलिए, हम मृतक की आय 30,000/- रुपए प्रति वर्ष मानते हुए प्रतिकर की पुनः गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14) यह देखते हुए कि मृतक रविन्द्र देवांगन उर्फ राजू दुर्घटना की तिथि को अविवाहित थे, हम **सैयद बशीर अहमद और अन्य बनाम मोहम्मद जमील और अन्य (2009) 2 सुप्रीम कोर्ट केस 225 और सरला वर्मा (श्रीमती) और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य (2009) 6 एससीसी 121** में प्रकाशित किए गए मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अभिमतो के अनुसार मृतक की आय का 50% उसके व्यक्तिगत खर्चों के लिए काटना उचित समझते हैं। इसलिए, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए 30,000/- रुपये का 50% घटाकर दावाकर्तागणो की निर्भरता 15,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है।

15) चूंकि दावाकर्ता मृतक के माता-पिता और बहन हैं, इसलिए वर्तमान मामले में **ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम बनाम लक्ष्मण अय्यर और अन्य** (2003) 8 एससीसी-731 में प्रकाशित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के कथन जिसमें यह माना गया था

कि उन मामलों में जहां दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हैं, गुणक कभी भी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। मद्देनजर, उपयुक्त का गुणक 10 से होगा।

16) 15,000/- रुपये की वार्षिक निर्भरता को 10 के गुणक से गुणा करने पर प्रतिकर कि राशि 1,50,000/- रुपये होती है। दावाकर्ता अंतिम संस्कार व्यय के लिए 5,000 रुपये और संपदा के नुकसान के लिए 5,000 रुपये पाने के भी हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता, मृतक रवींद्र देवांगन उर्फ राजू की मोटर दुर्घटना में मृत्यु के लिए प्रतिकर राशि के रूप में कुल 1,60,000 रुपये पाने के हकदार हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के बीच किसी संभावित विवाद से बचने के लिए कि दावाकर्ता प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर किस अवधि के ब्याज प्राप्त करने के हकदार हैं, प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि पर ब्याज की राशि को इस अपील में ही निर्धारित किये जाने योग्य है।

18) मामले के सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करते हुए, हम 68,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर ब्याज की राशि 7,000/- रुपये निर्धारित करते हैं।

19) उपरोक्त कारणों से, अपीलार्थीओं/दावाकर्तागणो द्वारा प्रतिकर कि राशि बढ़ाने के लिए दायर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा 92,000/- रुपये के प्रतिकर की राशि को बढ़ाकर 1,60,000/- रुपये किया जाता है, साथ ही

68,000/- रुपये की बढ़ी हुई प्रतिकर की राशि पर 7,000/- रुपये का अतिरिक्त ब्याज भी लगाया जाता है।

20) प्रत्यर्थी क्रमांक 2 यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कुल 75,000/- रुपये (पचहत्तर हजार रुपये मात्र) (68,000/- प्रतिकर की बढ़ी हुई राशि + उस पर निर्धारित ब्याज 7,000/-) संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया जाता है।

21) वाद- व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- सही/-

मुख्य न्यायाधिपति आर.एन. चंद्राकर

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by - Vidhi Mehta